न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 54/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सूरजदान पुत्र स्व. श्री मोहब्बतदानजी जाति चारण निवासी केर तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा 2. हल्का पटवारी पटवार हल्का सूरजवाडा तहसील रानीवाडा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2012 बउनवान सूरजदान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाके सरहद मौजा केर तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नंबर 81 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 176 रकबा 0.86 हैक्टेयर क़िस्म बारानी दोयम की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पिता का पिछले 40– 50 वर्षो से पूर्व का कब्जा काश्त था, जो खसरा परिवर्तनशील आदि दस्तावेजात् से साबित होता है। खसरा नंबर 176/515 रकबा 0.86 हैक्टेयर पुराने खसरा नंबर 81 से बनना रेकर्ड से साबित है तथा पुराने खसरा नंबर 81 के संबध में प्रथम सेटलमेंट के समय से अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का कब्जा होने से अपीलांट के विरूद्ध उस समय विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर नोटिस जारी किये गये। किन्तु अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 176/515 पर अपीलांट का कब्जा होने के बाद भी गलत ढंग से छोगाराम पुत्र लालाराम व राधा पत्नी छोगाराम जाति तुरी विासी केर को दिनांक 20.12.2001 को आवंटन किया गया। जिसे आवंटन प्रकरण संख्या 47/2005 में दिनांक 30.04.2008 खारिज किया जा चुका है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा वाके सरहद मौजा केर तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नंबर 81 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 176 रकबा 0.86 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावजात् को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी

प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर 91 की कार्यवाही होने के मौखिक कथन किये है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2012 बउनवान सूरजदान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली